सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–महावीर सिंह, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 17/19 **निर्णय दिनांकः–24–09–2019**

1. कालूखॉ पुत्र रमजान खॉ जाति मुसलमान निवासी इन्दो का बाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. सुगरा पत्नि स्व. गुमानखॉ जाति मुसलमान ढोली निवासी इन्दों का बाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. श्रीमती रूपकंवर पत्नि अजीत सिंह जाति राजपूत निवासी हाडला रावलोतान तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. सुनिल जैन पुत्र सुरेन्द्र कुमार जैर निवासी सेक्टर 3–43, रोहिणी दिल्ली।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 27–06–2019
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितः–
1. श्री रणजीत सिंह निर्वाण, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 व 3
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय दिनांक 27–06–2019 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही इन्दों का बाला के खेत खसरा नम्बर 179 तादादी 6.32 हेक्टर भूमि अपीलांट/वादी की दादी की खातेदारी भूमि निहित है। जिस पर अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर जन्म से अधिकार निहित है। उक्त भूमि में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने अधिकार, हक व हिस्से से अधिक की भूमि का अवैद्य विक्रय किये जाने पर उक्त विक्रय को शून्य धोषित करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर मात्र सरसरी तौर पर अपीलांट/वादी का दावा खारिज कर दिया गया।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में न तो तनकीयात् कायम की गई ना ही साक्ष्य व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया ना ही प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर निस्तारण किया गया। मात्र यह अंकित करते हुए कि बैयनामों को शून्य व निरस्त करवाने का वाद प्रस्तुत किया गया है जो सिविल नेचर का है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप खारिज किया गया है। जिसक कतई अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं था।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष धोषणात्मक, चिरनिषेधाज्ञा का वाद दायर किया गया। जिस पर अदालत मातहत ने बिना रिकार्ड का अवलोकन किये बिना कब्जे काश्त की जॉच किये बिना पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किये मात्र सरसरी तौर पर आदेश पारित करते हुए दावा खारिज किया गया है। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित तथा अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर जन्म से अधिकार निहित है, ऐसी स्थिति में किसी के कानूनी हक को मात्र सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता है।

यह कानून का प्रतिपादित सिद्वान्त है। अदालत मातहत ने उपरोक्त विधिक प्रावधानों पर कोई गौर किये बिना एक अवैद्य आदेश द्वारा अपीलांट का दावा खारिज कर दिया गया जिससे अपीलार्थी को अपने विधिक अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे कि पत्रावली में सीपीसी के सभी प्रावधानों की पालना करते हुए व अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् किये गये विक्रय पत्रों को शून्य धोषित करने का दावा प्रस्तुत करते हुए अपने खातेदार धोषित करने की इस्तदुआ की गई है। उक्त वादपत्र पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक अधिकारों के प्रस्तुत व बैयनामों को शून्य व निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत वादपत्र पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त न होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त होने के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए अपीलांट/वादी का वाद खारिज किया गया है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा ना तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई राजस्व दस्तावेजी बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे कि अपीलांट के कथनों को कोई बल प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट/वादी का वाद खारिज किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि वाके रोही इन्दों का बाला के खेत खसरा नम्बर 179 तादादी 6.32 हेक्टर भूमि अपीलांट/वादी की दादी की खातेदारी भूमि निहित है। जिस पर अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर जन्म से अधिकार निहित होने के आधार पर अपीलांट द्वारा खातेदारी धोषणा व चिरनिषेधाज्ञा के बाबत् दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए चाराजोई की गई है।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की गई तथा दावा बार्ड वाई लॉ होने के कारण खारिज करने का कथन करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित/स्वअर्जित भूमि थी। जिसे बेचान करने का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पूर्ण रूप से अधिकार हासिल होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को विक्रय की गई तथा तत्पश्चात् उक्त भूमि दिनांक 12—07—2019 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को विक्रय की जा चुकी है तथा राजस्व रिकार्ड में उक्त विक्रय का अमलदरामद हो चुका है।

प्रकरण में अपीलांट द्वारा उक्त विक्रय पत्रों को शून्य व अवैध धोषित करवाने का दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा की गई है। जबकि वादग्रस्त भूमि पूर्व में ही वैध खातेदार द्वारा अपने जीवनकाल में ही विक्रय की जा चुका है। लिहाजा अपीलांट को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के जीवनकाल में व जीवित रहते हुए वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार के अधिकार हासिल नहीं होते है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि न होकर विरासतन सम्पति है। ऐसी स्थिति में उक्त विक्रय पत्रों को शून्य व अवैध धोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त न होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए

अपीलांट/वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत होने के कारण खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट का कथन कि वादग्रस्त भूमि की जॉच करवाकर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जावे। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि अपील के इस स्तर पर जहॉ यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के हक व हकूक साबित नहीं है, मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाना न्यायाचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दिनांक 05—07—2019 को जारी अपीलांट के पक्ष में जारी एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा का निरस्त करते हुए अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27—06—2019 उपखण्ड अधिकारी, कोलायत यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 24—09—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर